कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः117/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(गाजि0)/277/395 दिनांकः जून 27 2017,

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लाट नं0–1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2045, 2046, एवं 2065, सेक्टर–03, आदित्य वर्ल्ड सिटी ग्राम बम्हैटा जिला गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर नं0–ए0, एवं ईडब्लूएस) के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2017/29351/जीजेडबी/गाजियाबाद/2014/जे0डी0।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित आवासीय भवन (टावर नं0–ए0, एवं ईडब्लूएस) के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन गाजियाबाद से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन का स्थलीय निरीक्षण एवं मानचित्रो का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री संजीव कुमार यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या पत्रांकः आर–13/एफएसके/2017 दिनांकः 13–06–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद श्री अक्षय रंजन शर्मा को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 16–06–2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा पत्रावली का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई तथा समस्त आख्याओ एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–10,523.020 वर्ग मी0।

2–कुल भूतल कवर्ड एरिया (स्वीकृत+प्रस्तावित)–3014.399 वर्ग मी0 है,जिसमे प्रस्तावित टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क0स0	नाम ब्लॉक/टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी0।	ऊचॉई मी0।
1	टावर–ए0	स्टिल्ट/भूतल+10 तल	1244.206	10,166.632	02 अदद 01.50/01.25 मी0।	31.25
2	टावर ईडब्लूएस–19, 20 एवं 21	भूतल+03 तल	329.834	1319.336	02 अदद .90 मी0 प्रत्येक।	11.65

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी0–2016 की ए0–4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः–प्रश्नगत के मानचित्रों में भवन के सामने 12.00 मीटर चौडा रोड प्रदर्शित है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत के मानचित्रों में भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई 06.00 मीटर प्रस्तावित है।

3–सैटबैकः– प्रश्नगत भवन के मानचित्रों के अनुसार भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–09.00 मीटर। बी0–पृष्ठभाग–06.00 मीटर।

सी0–पार्श्व प्रथम–06.00 मीटर। डी0–पार्श्व द्वितीय–06.00 मीटर प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित के प्रस्तर 3.4.5 के अनुसार है, तथा भवन के चारो ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ हेतु 06.00 मीटर चौडाई का हार्ड सरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है, जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जाये, इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।

4–निकास मार्गः–प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस उपलब्ध है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयरकेस की चौडाई मानचित्र में प्रदर्शित चौडाई से कम नही होनी चाहियें। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 02 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित कराया जाना अनिवार्य होगा।

5–रिफ्यूज एरियाः– प्रस्तावित भवन के ईडब्लूएस टावर में वांछित नही है, तथा ब्लॉक ए0 के 09वें तल पर रिफ्यूज एरिया का प्राविधान प्रस्तावित है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवनों मे एन0बी0सी0–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना प्राविधानित है।

1–होजरील/डाउनकमरः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक/टावर के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस

2–टेरिस टैंक:–प्रश्नगत भवन के ईडब्लूएस के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 5,000 हजार ली0 एवं टावर ए0 की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0 का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

3–टेरिस पम्प:–प्रश्नगत भवन के ईडब्लूएस के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 तथा टावर ए0 की टेरिस पर टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

4–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– प्रस्तावित सम्पूण भवन के प्रत्येक तल पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित नही है।

5–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

6–आटोमेटिक डिस्टेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक डिस्टेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित नही है।

7–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है।

8–एग्जिट साईनेज:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9–पी0ए0 सिस्टम:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

11–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

12–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लाट नं0–1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2045, 2046, एवं 2065, सेक्टर–03, आदित्य वर्ल्ड सिटी ग्राम बम्हैटा जिला गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर नं0–ए0, एवं ईडब्लूएस) के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ, तथा इस निर्देश के साथ प्रेषित की विलम्बतम 24 घण्टे मे फायर सर्विस की बेवसाइट पर अपलोड कर आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

4–मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लाट नं0–1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2045, 2046, एवं 2065, सेक्टर–03, आदित्य वर्ल्ड सिटी ग्राम बम्हैटा जिला गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।